[2021] 5 एस.सी.आर 939

प्रवीण कुमार सी. पी.

बनाम

केरल सार्वजनिक सेवा आयोग और अन्य

(सिविल अपील संख्या 4846/2021)

17 अगस्त, 2021

[एल. नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून–नियुक्ति–डिग्री की समतुल्यता लागू–केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 – खंड 10 (ए) (ii), 13–हाई स्कूल के पदों पर नियुक्ति

केरल लोक सेवा आयोग (के. पी. एस. सी.) द्वारा केरल राज्य में सहायक–संबंधित क्षेत्रों में बी. एड. निर्धारित रोजगार अधिसूचनाएँ

पात्रता मानदंड के रूप में विषय–अपीलार्थियों के पास केरल के बाहर से बी. एड की डिग्री थी, हालांकि संबंधित विषयों में नहीं–आपत्ति

स्थापित किया गया–इसके बाद, केरल राज्य के दो विश्वविद्यालय प्रमाणित हुए

अपीलार्थियों की बी. एड. डिग्री का समकक्ष दर्जा होना जो था

इसके बाद उन विषयों पर सरकारी आदेश (जी. ओ.) दिए जाते हैं जिनमें अपीलार्थियों ने बी. एड. की डिग्री प्राप्त की थी।

आवश्यक विषय–जी. ओ. के आधार पर, न्यायाधिकरण ने अनुमति दी

अपीलार्थियों द्वारा दायर याचिकाओं और के. पी. एस. सी. को उन्हें शामिल करने का निर्देश दिया

श्रेणीबद्ध सूची में नाम–उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किए गए आदेश–अपील पर, आयोजितः जी. ओ. ने समतुल्यता को तारीखों पर काम करने के लिए माना

बी. एड. डिग्री प्राप्त करना–विषय जी. ओ. केवल मौजूदा को मान्यता देते हैं।

जहां तक डिग्री की प्रकृति का संबंध है और डिग्री के लिए नए मूल्य का सृजन नहीं किया है जो अपीलार्थी करते हैं।

अधिकार प्राप्त–जी. ओ. सामान्य आदेश नहीं थे, लेकिन व्यक्ति विशिष्ट थे, जो दो अपीलार्थियों से संबंधित थे और सार में उन्हें करना होगा

खेल के बीच के नियम–अपीलकर्ताओं के पास समान अधिकार थे योग्यताएँ जब उन्होंने पदों के लिए आवेदन किया–विवादित निर्णय

एक तरफ रख दिया–न्यायाधिकरण के आदेशों को बहाल किया गया–केरल शिक्षा नियम, 1959–अध्याय XXXI–खंड 2 (2) (ए)।

सेवा कानून–पात्रता मानदंडों पर आपत्ति–केरल

शिक्षा नियम, 1959–अध्याय XXXI–खंड 2 (2) (ए)–वैधता

एड। ध्यान दें: 28 जनवरी, 2022 के बाद के आदेश के अनुसार कारण शीर्षक में प्रतिवादी (ओं) का नाम ठीक किया गया है।

बी. एड. में विशिष्ट विषयों को योग्यता मानदंड के रूप में शुरू करना

अपीलार्थियों द्वारा चुनौती दिए गए उच्च विद्यालय सहायकों के पद–क्षेत्र: उक्त खंड बी. एड. डिग्री सरलीकरणकर्ता को पात्रता मानदंड के रूप में प्रस्तुत करता है–इसके अलावा, के. पी. एस. सी. द्वारा जारी कोई विशिष्ट अधिसूचना/आदेश रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है जिसके तहत बी. एड. रखने की पात्रता मानदंड हैं। प्रश्नगत पदों के लिए डिग्री संबंधित विषय में होनी चाहिए–हालाँकि, अपीलार्थी बिना कोई आपत्ति उठाए उक्त चयन प्रक्रिया में भाग लेने के बाद, रोजगार अधिसूचना केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958–खंड 13 में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों पर सवाल नहीं उठा सकते हैं।

शब्द और वाक्यांश–'समानता'–का अर्थ–चर्चा की गई।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया गया:1.1 केरल शिक्षा नियम, 1959 के अध्याय XXXI के खंड 2 (2) (ए) को सीधे पढ़ने पर, यह स्पष्ट है

योग्यता मानदंड। संबंधित में स्नातक की आवश्यकता विषय है, लेकिन उक्त खंड के अनुसार, यह बी. एड. डिग्री सरलीकरण को पात्रता मानदंड के रूप में मानता है। जहाँ तक वर्तमान अपीलार्थियों का संबंध है, संबंधित विषय में उनके स्नातक होने पर कोई विवाद नहीं उठाया गया है। केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 का खंड 13 अनुमति देता है –

आयोग उन मामलों में विशेष योग्यता निर्धारित करेगा जहां उसके साथ या उसके द्वारा परामर्श करके नियुक्तियां की जानी हैं

राज्य सरकार या अन्य मामलों में राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा। के. पी. एस. सी. द्वारा जारी कोई विशिष्ट अधिसूचना या आदेश अदालत के संज्ञान में नहीं लाया गया है जिसके तहत बी. एड. करने की पात्रता मानदंड हैं। हाई स्कूल सहायकों के पदों के लिए डिग्री संबंधित विषय में होनी चाहिए। लेकिन, अपीलार्थी इस तर्क की सहायता नहीं ले सकते क्योंकि संबंधित रोजगार अधिसूचनाओं में बी. एड. इन निर्दिष्ट किया गया था। संबंधित विषय। अपीलकर्ताओं ने उक्त चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, तो उनके लिए रोजगार अधिसूचना में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार, मामले को इस आधार पर आगे बढ़ाया जाता है कि विचाराधीन पदों के लिए उम्मीदवारों के

पास संबंधित विषय में बी. एड. की डिग्री होना आवश्यक था। [पारस 16,18] [952–जी–एच; 953–ए–बी; 954–ए–सी] प्रवीण कुमार सी. पी. वी.

नियमित अध्ययन के माध्यम से अपीलार्थी प्राकृतिक विज्ञान में बी. एड. की डिग्री के बराबर थे। पीके के मामले में, उनका बी. एड. में डिग्री जीव विज्ञान को बी. एड. के समकक्ष मान्यता दी गई थी। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, केरल से प्राकृतिक विज्ञान की डिग्री। एडी के मामले में, जी. ओ. ने निर्धारित किया कि डबल मेन बी. एड. (जैविक विज्ञान शिक्षा और शारीरिक विज्ञान शिक्षा) डिग्री

नियमित मोड के माध्यम से उनके द्वारा प्राप्त बी. एड के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त थी। कालीकट विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान की डिग्री। दोनों जी. ओ. का एक सादा अध्ययन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनकी डिग्री पात्रता मानदंड में निहित आवश्यक योग्यताओं के बराबर थी। अपने सादे अर्थ में "समानता" शब्द का अर्थ कुछ ऐसा है जो दूसरे के बराबर है। शिक्षाविदों के क्षेत्र में, दो विषयों में डिग्री के संबंध में समतुल्यता के सिद्धांत के अनुप्रयोग का अर्थ यह होगा कि उनकी स्थिति या स्थिति हमेशा समान थी, जब तक कि आधिकारिक साधन

समतुल्यता के अनुसार एक तारीख निर्दिष्ट की जाती है जिससे संबंधित विषयों को व्यक्त शब्दों में या निहितार्थ के रूप में माना जाएगा। [पैरा 22,25 और 26] [955–डी–ई; 957–डी–एफ; 958–बी–डी]

क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया कोच्चि और

ओआरएस। वी. आर्या के बाबू और अन्र। (2019) 8 एससीसी 587 [2019]

11 एससीआर 627–प्रतिष्ठित।

ए. सुमा बनाम। केरल लोक सेवा आयोग और

[2017] 6 एस. सी. आर. 510–लागू नहीं होता है। टी. जयकुमार बनाम ए. गोपू (2008) 9 एससीसी 403: [2008]

13 एस. सी. आर. 791–संदर्भित।

1.3 क्या एक जी. ओ. का संभावित प्रभाव होगा या संबंधित

पहले की तारीख तक वापस जाना एक ऐसा प्रश्न है जिसे संबंधित आदेशों के पाठ और अवधि के आधार पर तय करना होगा। अपीलार्थियों की डिग्रियों को समकक्ष घोषित करने वाले जी. ओ.

लागू अधिसूचनाओं के अनुसार जो आवश्यक थे वे सामान्य [2021] 5 एस. सी. आर. नहीं थे।

आदेश लेकिन ये दो आदेश व्यक्ति विशिष्ट थे, संबंधित

जीओएस। जहां तक डिग्री की प्रकृति का संबंध है, विषय के जी. ओ. ने केवल एक मौजूदा स्थिति को मान्यता दी और अपीलार्थियों के पास जो डिग्री थी, उसके लिए नए मूल्य का सृजन नहीं किया। हालाँकि ये समकक्ष आदेश रोजगार अधिसूचना जारी करने की तारीखों पर अस्तित्व में नहीं थे,

लेकिन जी. ओ. वास्तव में ऐसी डिग्री प्राप्त करने की तारीखों से ऐसी स्थिति को मान्यता देते हैं। जी. ओ. किसी भी मध्यवर्ती परिस्थितियों का खुलासा नहीं करते हैं जिसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि ऐसी परिस्थितियों के कारण संबंधित डिग्री ने समकक्ष दर्जा प्राप्त कर लिया है।

उनके बी. एड. की डिग्री प्रदान करने के बाद। खंड के नोट्स

7 रोजगार अधिसूचनाओं में समतुल्यता पर आदेशों की संख्या और तिथि का अभिनिर्धारित प्रकटीकरण। लेकिन जी. ओ. ने समतुल्यता को ऐसी डिग्री प्राप्त करने की तारीखों पर काम करने के लिए माना। इस प्रकार, प्रकटीकरण आवश्यकता पर दोष, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के आदेशों के जारी होने पर ठीक हो जाएगा।

जीओएस। अपीलार्थियों की डिग्री को वर्ष 2019 में जारी जी. ओ. द्वारा लागू अधिसूचनाओं के तहत आवश्यक डिग्री के बराबर मानने से खेल के नियमों में बीच में बदलाव नहीं होगा। बी. एड. में अपीलार्थियों की डिग्री रोजगार अधिसूचनाओं और समकक्षता द्वारा आवश्यक डिग्री के बराबर थी।

आदेश प्रकृति में केवल स्पष्टीकरणात्मक थे। इस प्रकार, अपीलार्थियों के मामलों में संबंधित रोजगार अधिसूचनाओं के खंड 7 के टिप्पणियों (v) और (vi) का कोई मौलिक उल्लंघन नहीं हुआ। अपीलार्थियों के पास समतुल्य योग्यताएँ थीं जब वे

पदों के लिए आवेदन किया। अपील के तहत दिए गए निर्णयों को दरकिनार कर दिया जाता है और न्यायाधिकरण के आदेशों को बहाल कर दिया जाता है। [पारस 27-29] [958 E-H; 959-A-B, F; 960-A]

पी. महेंद्रन बनाम कर्नाटक राज्य (1990) 1 एससीसी 411: [1989] 2 पूरक। एस. सी. आर. 385; प्रफुल्ल कुमार स्वैन बनाम। प्रकाश चंद्र मिश्रा और अन्य। 1993 पूरक (3) एस. सी. सी. 181: [1993] 1 एससीआर 241; सचिव, ए. पी. लोक सेवा प्रवीण कुमार सी. पी. बनाम

[2005] 2 एससीआर 991; प्रकाश चंद मीणा और अन्य। वी. राजस्थान राज्य और अन्य। (2015) 8 एससीसी 484: [2015] 3

मामला कानून संदर्भ		
[1989] 2 पूरक। एससीआर 385	पैरा 15	संदर्भित किया गया है
[1993] 1 एससीआर 241	पैरा 15	संदर्भित किया गया है
[2005] 2 एससीआर 991	पैरा 15	संदर्भित किया गया है
[2015] 3 एससीआर 729	पैरा 15	संदर्भित किया गया है

[2019] 11 एससीआर 627	पैरा 15	संदर्भित किया गया है
[2008] 13 एससीआर 791	पैरा 21	संदर्भित किया गया है
[2017] 6 एससीआर 510	पैरा 25	अप्रयोज्य रखा गया

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.4846/2021 से

उच्च न्यायालय के 18.12.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2019 के ओ. पी. (के. ए. टी.) No.518 में एर्नाकुलम में केरल का।

के साथ

2021 की सिविल अपील No.4847

शरथ एस. जनार्दनन, सुश्री विष्णुप्रिया पी. गोविंद, आबिद अली बीरन

पी, एड. अपीलार्थी के लिए।

विपिन नायर, पी. बी. सुरेश, कार्तिक जयशंकर, अरिंदम घोष,

अंशुमन बहादुर, सनल सी. नाम्बियार, सी. के. सासी, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाताओं।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था अनिरुद्ध बोस, जे।

1. दोनों याचिकाओं में अनुमति दी गई।

2. इन कार्यवाहियों में शामिल विवाद से संबंधित है

यह मुद्दा कि क्या अपीलकर्ताओं के पास केरल राज्य में उच्च विद्यालय सहायकों के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड थे।

मुख्य विवाद इस सवाल पर है कि क्या अपीलार्थियों की बी. एड. डिग्री पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले विषयों में थी। यह वह है दोनों अपीलों में शामिल सामान्य प्रश्न और हम [2021] 5 एस. सी. आर. से निपटेंगे।

इस निर्णय में एक समग्र तरीके से यह विवाद। अपीलार्थी और हम दोनों के दावों के तथ्यात्मक आधार में कुछ भिन्नताएँ हैं।

प्रत्येक अपीलार्थी के लिए पहले उस पहलू को अलग–अलग संदर्भित करेगा। 3. 2020 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 4604 में उत्पन्न अपील में, अपीलकर्ता एक प्रवीण कुमार सी. पी. है।

अब से उसे पीके के रूप में संदर्भित करें। इस पद के लिए चयन प्रक्रिया केरल लोक सेवा आयोग (के. पी. एस. सी.) द्वारा 31 दिसंबर, 2012 को जारी एक रोजगार अधिसूचना द्वारा शुरू की गई थी। पी. के. ने प्राकृतिक विज्ञान में उक्त पद के लिए आवेदन किया था। यह अधिसूचना केरल राज्य के सभी चौदह जिलों में मलयालम माध्यम के संस्थानों में नियुक्ति के लिए थी। जिस पद के लिए पी. के. ने आवेदन किया था, उसके लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता उक्त रोजगार अधिसूचना के खंड 7 में निर्धारित की गई थी। यह खंड पढ़ता हैः

" 7. योग्यताः

केरल में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में संबंधित विषय में डिग्री और बी. एड/बी. टी.

उपरोक्त उद्देश्य के लिए।
(ii) आवेदकों को स्नातक या पद के लिए मुख्य विषयों के रूप में वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान या गृह विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान लेना चाहिए।

स्नातक।

((iii) लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र मलयालम में होंगे।

उम्मीदवारों को मलयालम में प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए।
(iv) डिग्री और बी. एड डिग्री में प्राप्त विषयों का उल्लेख आवेदन पत्र में कोष्ठक में किया जाना चाहिए।

(v) वे उम्मीदवार जिन्होंने केरल के बाहर के विश्वविद्यालयों से बी. एड/बी. टी. की डिग्री प्राप्त की है, उन्हें आवेदन पत्र में उक्त डिग्री घोषित करने वाले प्रासंगिक आदेशों की संख्या और तिथि नोट करनी चाहिए।
इस चयन के लिए निर्धारित लोगों के बराबर। इस तरह के आदेश की प्रतियां आयोग के समक्ष तब पेश की जाएंगी जब वह

पुकारा। "

4. पीके ने बी. एड. की उपाधि प्राप्त की थी। मैसूर विश्वविद्यालय से जैविक विज्ञान में डिग्री, वह पाठ्यक्रम जो उन्होंने रामकृष्ण प्रवीण कुमार सी. पी. बनाम में किया।

नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान, यादवगिरी, मैसूर। द. विश्वविद्यालय जहाँ से पी. के. ने बी. एड. की उपाधि प्राप्त की। डिग्री कालीकट विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त थी, जैसा कि अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका के अनुलग्नक पी–10 से स्पष्ट होगा। इस प्रमाण पत्र में कहा गया हैः

" कालीकट विश्वविद्यालय

कालीकट विश्वविद्यालय पी.

ओ. 673635

Sl.No.24619

No.EQ/30123/2018

तिथि 05

जुलाई 2018

प्रमाण पत्र

प्रमाणित है कि बी. एड. (जैविक विज्ञान) की डिग्री

नियमित अध्ययन के बाद मैसूर विश्वविद्यालय को मान्यता दी गई है इस विश्वविद्यालय की बी. एड. प्राकृतिक विज्ञान की डिग्री के समकक्ष।

एसडी /

पं

जीयक के लिए

इन्हें जारी किया गयाः

श्रीः – प्रवीण कुमार सी. पी

ध्यान देंः यह एक सामान्य प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र है संबंधित व्यक्ति को इस कार्यालय में सत्यापित नहीं किया गया है जबकि

स्वीकार करने वाले प्राधिकरण द्वारा "।
5. बी. एड. डिग्री के लिए पी. के. के प्रमाणपत्र में व्यक्ति निर्दिष्ट नहीं था।

वे विषय जो उनके पाठ्यक्रम का हिस्सा थे, लेकिन जिस संस्थान से उन्होंने बी. एड. पाठ्यक्रम किया था, उस द्वारा 12 दिसंबर, 2019 को जारी किए गए "अध्ययन प्रमाण पत्र" शीर्षक वाले एक दस्तावेज में यह निर्दिष्ट किया गया है कि उन्होंने बी. एड. उत्तीर्ण किया था। विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित डिग्री परीक्षा मैसूर, मैसूर और बी. एड. में उनके विषय सामग्री–सह–कार्यप्रणाली 1–जीव विज्ञान और सामग्री–सह–कार्यप्रणाली 2–रसायन विज्ञान (जैविक विज्ञान) थे। यह प्रमाण पत्र केरल उच्च न्यायालय में विवाद के लंबित रहने के दौरान जारी किया गया था।

6. विशेष अनुमति याचिका (सिविल) से उत्पन्न अपील में

2021 की सं. 3927, याचिकाकर्ता पी. अनीता देवी हैं। हम बाद में इस फैसले में उसे एडी के रूप में संदर्भित करेंगे। उनके मामले में चयन प्रक्रिया के. पी. एस. सी. द्वारा 15 मार्च, 2014 को इसी

तरह की रोजगार अधिसूचना द्वारा शुरू की गई थी। विषय–पद एक ही था, यानी हाई स्कूल सहायक (प्राकृतिक विज्ञान) लेकिन स्कूलों की श्रेणी जिसके लिए यह अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट करती है

पलक्कड़ और इडुक्की जिले में तमिल माध्यम के संस्थान जारी किए गए थे। इस अधिसूचना में उम्मीदवारों के योग्यता मानदंड से संबंधित प्रासंगिक खंड भी खंड 7 था और उसमें शर्तें मोटे तौर पर रोजगार में निहित थीं।

अधिसूचना दिनांक 31 दिसंबर, 2012। 15 मार्च, 2014 की अधिसूचना में उक्त खंड निर्दिष्ट किया गया हैः –

" 7. योग्यताएँः –
केरल में विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त या मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री और बी. एड/बी. टी की डिग्री (संबंधित विषय नीचे टिप्पणी (ii) में निर्दिष्ट हैं) टिप्पणीः

(i) राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त ग्रामीण सेवा में डिप्लोमा को निम्न के समकक्ष माना जाएगा –

या स्नातकोत्तर।
(iii) पद शीर्षक डिग्री धारक इसके लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं

एच. एस. ए. का पद।

(iv) इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को तमिल में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। लिखित परीक्षा/ओ. एम. आर. परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तमिल में होंगे। उम्मीदवारों को जवाब देना चाहिए

तमिल में प्रश्न।

(v) जिन विषयों में डिग्री और बी. एड की डिग्री प्राप्त की गई थी, उनका उल्लेख आवेदन में कोष्ठक में किया जाना चाहिए।

रूप में।

(vi) वे उम्मीदवार जिन्होंने बी. एड/बी. टी. किया हो। केरल के बाहर के विश्वविद्यालयों की डिग्री को आवेदन में नोट करना चाहिए।

प्रपत्र, उक्त डिग्री को इस चयन के लिए निर्धारित डिग्री के समतुल्य घोषित करने वाले प्रासंगिक आदेशों की संख्या और तिथि। इस तरह के आदेश की प्रतियां आदेश से पहले प्रस्तुत की जाएंगी।
कमीशन जब मांगा जाता है "।

7. एडी ने बी. एड. की उपाधि प्राप्त की थी। भारतियार विश्वविद्यालय, कोयंबटूर, तमिलनाडु से जैविक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में डिग्री। उक्त डिग्री को कालीकट विश्वविद्यालय द्वारा प्रवीण कुमार सी. पी. वी. में भी मान्यता दी गई थी।

केरल राज्य और उस आशय का प्रमाण पत्र 31 अक्टूबर, 2017 को जारी किया गया था। यह उनकी याचिका के अनुलग्नक पी–4 से स्पष्ट होगा। यह प्रमाण पत्र इस प्रकार हैः

" कालीकट विश्वविद्यालय

कालीकट विश्वविद्यालय पी.

ओ.–673635

Sl.No.20414

No.EQ/26497/2017

तिथि 31 अक्टूबर

2017

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया कि भरतियार विश्वविद्यालय की बी. एड डिग्री

कोयंबटूर को नियमित अध्ययन के बाद समकक्ष के रूप में मान्यता दी गई है

इस विश्वविद्यालय की बी. एड डिग्री तक।

(ऑफिस सील)

एसडी /

पं

जीयक के लिए

श्रीमती. अनीता देवी पी।

ध्यान देंः यह एक सामान्य प्रमाण पत्र और मूल प्रमाण पत्र है संबंधित व्यक्ति को इस कार्यालय में सत्यापित नहीं किया गया है जबकि

इसे जारी करना। योग्यता और अध्ययन के तरीके का सत्यापन किया जाएगा। स्वीकार करने वाले प्राधिकरण द्वारा "।

8. उन दोनों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और थे

"मुख्य सूची" में शामिल किया गया, जो लिखित परीक्षा में उनकी सफलता को दर्शाता है। लेकिन सवाल यह उठा कि क्या उनकी बी. एड. की डिग्री "संबंधित विषय" के समकक्ष विषयों में थी जो रोजगार अधिसूचना में निर्धारित की गई थी। क्या होगा गठन

दोनों रोजगार अधिसूचनाओं के खंड 7 के नोट (ii) में संबंधित विषय निर्धारित किया गया है और उनमें से किसी के पास भी उक्त खंड में निर्धारित विषयों में बी. एड. की डिग्री नहीं है।

9. चूंकि किसी भी अपीलार्थी के पास प्राकृतिक विज्ञान में बी. एड. की डिग्री नहीं थी,

लिखित परीक्षा के परिणामों में, उनके मामले में "संबंधित विषय" में बी. एड. नहीं होने पर आपत्ति जताई गई थी। उसे उत्पादन करने के लिए समय दिया गया था उनकी योग्यता की स्वीकृति के संबंध में सरकारी आदेश। एडी के मामले में भी इसी तरह की आपत्ति उठाई गई थी। पीके ने समय बढ़ाने के लिए कहा था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था, जैसा कि उनके विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया था। एडी के मामले में, उन्होंने कुछ अन्य उम्मीदवारों के साथ केरल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट से संपर्क किया था

एक आवेदन दायर करके प्रशासनिक न्यायाधिकरण (ओ. ए.) (ई. के. एम.) 2018 का सं. 346), अन्य बातों के साथ–साथ यह दावा करते हुए कि उनके पास अपेक्षित योग्यता थी। न्यायाधिकरण द्वारा 20 फरवरी, 2018 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था, जिसमें उन्हें उनकी याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। पीके ने एक आवेदन [ओ. ए.] के साथ न्यायाधिकरण का भी दरवाजा खटखटाया था। (ई. के. एम.) 2018 का सं. 257] और न्यायाधिकरण द्वारा 30 जनवरी, 2018 को एक आदेश पारित किया गया था जिसमें उन्हें अपने मामले में आगे के आदेश के अधीन साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इन आदेशों के आधार पर उन्होंने साक्षात्कार में भाग लिया। इसके बाद, श्रेणीबद्ध सूचियाँ प्रकाशित की गईं लेकिन दोनों के परिणाम अपीलार्थियों को रोके जाने के लिए दिखाया गया था। पी. के. ने 2019 के ओ. ए. संख्या 1525 के रूप में पंजीकृत एक मूल आवेदन के साथ फिर से न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उनके बी. एड. को स्वीकार नहीं करने के अधिकारियों के फैसले को चुनौती दी गई थी। डिग्री, जिसके विषय को उन्होंने "दोहरा विकल्प" कहा है। न्यायाधिकरण के समक्ष अपने मामलों के लंबित रहने के दौरान, केरल सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने दो सरकारी आदेश (जी. ओ.) जारी किए थे, जिन्होंने मोटे तौर पर अपीलार्थियों के संबंधित विषय के बराबर डिग्री होने के दावे को कायम रखा। पीके के मामले में, 7 मार्च, 2019 के सरकारी आदेश में निर्धारित किया गया थाः

" उच्च शिक्षा (बी) विभाग

जी. ओ. () सं. 54/2019/एच एडन।

07/03/2019

तिरुवनंतपुरम

संदर्भः – 1. श्री द्वारा प्रस्तुत अनुरोध। प्रवीण कुमार सीपी ऑन 06.08.2018 .

2. पत्र सं। अधिनियम/03/विनियमन–1143/आर. ई. सी./18 दिनांक 24.09.2018
कुलसचिव, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय।

आदेश

प्रवीणकुमार सी. पी. जो केरल की सूची में शामिल थे

लोक सेवा आयोग ने सरकार से अनुरोध किया था कि

बी. एड. बताते हुए आदेश दिया जाए। जीव विज्ञान में डिग्री मैसूर विश्वविद्यालय से प्राप्त बी. एड. के बराबर है। डिग्री

प्राकृतिक विज्ञान में, संदर्भ संख्या 1 के अनुसार।

सरकार ने इस मुद्दे पर विस्तार से विचार किया है

महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के कुलसचिव की रिपोर्ट के अनुसार

संदर्भ संख्या 2 जिसने उस बी. एड. को स्वीकार किया। नियमित रूप से डिग्री

मैसूर विश्वविद्यालय से प्राप्त अध्ययन बी. एड. के बराबर है।

वीन कुमार सी. पी. बनाम केरल सार्वजनिक सेवा आयोग और ओआरएस। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

एतद्द्वारा आदेश दिया जाता है कि जीव विज्ञान में बी. एड. की डिग्री प्राप्त की जाए। मैसूर विश्वविद्यालय से नियमित अध्ययन के माध्यम से इसके बराबर है

बी. एड. महात्मा गांधी से प्राप्त प्राकृतिक विज्ञान में डिग्री विश्वविद्यालय।

(राज्यपाल के आदेश के अनुसार)

स्वप्ना। पी.

अवर सचिव

सचिव, केरल लोक सेवा आयोग,

तिरुवनंतपुरम

प्रवीण कुमार सी. पी., चेरियापुथुकुलंगरा हाउस, इरिंगथ पीओ, कोझिकोड–673523, कार्यालय प्रतिलिपि

डब्ल्यू. डब्ल्यू. उच्च शिक्षा। केरल। गव. में

आदेश के

अनुसार

एसडी /

अनुभाग अधिकारी

"

10. ए. डी. के मामले में, 23 जुलाई, 2019 का एक समान आदेश था

डी। इस जी. ओ. में एक अन्य उम्मीदवार श्रीमती का मामला भी शामिल था। एरिथ। उक्त आदेश में कहा गया हैः

" उच्च शिक्षा (बी) विभाग

जी. ओ. (.....) No.254/2019/H.Edn। दिनांक, तिरुवनंतपुरम, 23 /

07/2019

संदर्भः 1. श्रीमती द्वारा प्रस्तुत आवेदन। माफेरिथ, अनिथादेवी

2. पत्र संख्या 103542/ई. क्यू. और एम. जी. एस. ओ./2019/प्रशासन। दिनांकित 28.06.19

कुलसचिव, कालीकट विश्वविद्यालय।

आदेश

श्रीमती. मैफरिथ, श्रीमती। अनिथादेवी, जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की

केरल लोक सेवा आयोग ने आवेदन प्रस्तुत किया था

संदर्भ (1) के अनुसार समतुल्यता को मान्यता देने वाला आदेश पारित करना

डबल मेन बी. एड. (जैविक विज्ञान शिक्षा और शारीरिक शिक्षा)

विज्ञान शिक्षा), डबल मेन बी. एड. (जैविक विज्ञान [2021] 5 एस. सी. आर.

शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा) भरतियार से प्राप्त डिग्री

नियमित रूप से विश्वविद्यालय से बी. एड. प्राकृतिक विज्ञान की डिग्री

कालीकट विश्वविद्यालय। कालीकट विश्वविद्यालय वीडियो संदर्भ

(2) जानकारी दी कि डबल मेन बी. एड. (जैविक विज्ञान शिक्षा)

& शारीरिक विज्ञान शिक्षा), डबल मेन बी. एड. (जैविक शिक्षा) विज्ञान शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा) से प्राप्त डिग्री

नियमित माध्यम से भरतियार विश्वविद्यालय को मान्यता दी गई है। कालीकट विश्वविद्यालय से बी. एड. प्राकृतिक विज्ञान की डिग्री के समकक्ष।

उक्त परिस्थितियों में, यह आदेश दिया जाता है कि दोगुना

मुख्य बी. एड. (जैविक विज्ञान शिक्षा और भौतिक विज्ञान)

शिक्षा), डबल मेन बी. एड. (जैविक विज्ञान शिक्षा और

अंग्रेजी शिक्षा) भरतियार विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री

नियमित मोड के माध्यम से बी. एड के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। प्राकृतिक

कालीकट विश्वविद्यालय से विज्ञान की डिग्री।

(राज्यपाल के आदेश के अनुसार)

स्वप्ना पी

अवर

सचिव "

11. इन जी. ओ. के आधार पर, न्यायाधिकरण ने दोनों को अनुमति दी

याचिकाएँ दायर कीं और के. पी. एस. सी. को अपीलार्थियों के नाम श्रेणीबद्ध सूची में शामिल करने का निर्देश दिया। पी. के. के मामले में न्यायाधिकरण ने 20 सितंबर, 2019 को आदेश पारित किया था, जबकि ए. डी. की याचिका में निर्णय 2 सितंबर को दिया गया था।

सितंबर, 2019।

12. के. पी. एस. सी. ने उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधिकरण के आदेशों पर हमला किया

केरल का न्यायालय। उच्च न्यायालय के समक्ष उनका रुख था कि समानता संबंधित जी. ओ. के जारी होने की तारीखों से लागू होनी चाहिए और उक्त जी. ओ. को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। इस तर्क को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। पी. के. के मामले में, यह अन्य बातों के साथ–साथ उच्च न्यायालय द्वारा 2019 के ओ. पी. (के. ए. टी.) सं. 518 में अभिनिर्धारित किया गया थाः

यह तर्क देता है कि जारी की गई समानता अधिसूचना के बाद है और यह केवल भविष्य के चयनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिलायंस को भी रखा गया है

ललिता बाई बनाम में इस न्यायालय के दो निर्णय। लोक सेवा

आयोग [1999 (2) के. एल. टी. 894 और राजश्री बनाम। केरल राज्य [2009 (1) केएलटी 259]। हम इस तर्क को स्वीकार करते हैं, विशेष रूप से ध्यान देते हुए

क्षेत्रीय प्रबंधक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय,

बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम आर्या के. बाबू और एक अन्य [(2019) 8 प्रवीण कुमार सी. पी. बनाम। अधिसूचना में निर्दिष्ट, लेकिन समतुल्यता के आधार पर, यह अदालत ने उम्मीदवार को पद पर बने रहने की अनुमति दी

जिसे वह नियुक्त किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवहेलना की समानता प्रदान करने वाले उच्च न्यायालय की प्रथा और

बहुत समान योग्यता वाले कई अन्य उम्मीदवार, जो इस विश्वास में आवेदन नहीं किया है कि उक्त योग्यता एक नहीं है

अधिसूचना में निर्धारित।

उपरोक्त सभी कारणों से हम न्यायाधिकरण से सहमत नहीं हैं और हम न्यायाधिकरण के आदेश को दरकिनार करते हुए मूल याचिका की अनुमति देते हैं।

दलों को अपनी–अपनी लागतें उठानी पड़ेंगी।

(उद्धृत शब्दशः)

13. ओ. पी. (के. ए. टी.) के रूप में पंजीकृत उच्च न्यायालय के समक्ष के. पी. एस. सी. की याचिका

ए. डी. के संबंध में न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ 2019 का सं. 465 भी इसी आधार पर कायम रखा गया था और न्यायाधिकरण के आदेशों को उनके दोनों मामलों में दरकिनार कर दिया गया था। पीके के मामले में फैसला 18 दिसंबर, 2019 को दिया गया था, जबकि एडी के मामले में न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ केपीएससी की याचिका 12 मार्च, 2020 को दी गई थी।

14. उपरोक्त दोनों में उच्च न्यायालय का व्यापक तर्क

निर्णय यह था कि अपीलार्थियों द्वारा जी. ओ. पर भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि ये रोजगार अधिसूचनाओं और चयन प्रक्रियाओं के समापन के बाद जारी किए गए थे। उच्च न्यायालय की राय थी कि पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ सरकारी आदेशों की स्वीकृति खेल के नियम में बदलाव के बराबर होगी, जो अस्वीकार्य है। अपीलकर्ताओं ने हमारे सामने इन निर्णयों की वैधता पर हमला किया है। उनका मुख्य तर्क यह है कि जी. ओ. केवल अपने संबंधित शैक्षिक स्थिति के संबंध में एक स्थायी स्थिति को मान्यता देते हैं।

संबंधित जी. ओ. द्वारा योग्यता और उनके बी. एड. विषयों की समकक्षता की पुष्टि पात्रता आवश्यकता को पूरा करती है। अपीलार्थियों की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि उनकी मौजूदा डिग्रियों को इस आधार पर निर्दिष्ट किए गए समकक्ष के रूप में मान्यता देते हुए जारी किए गए जी. ओ. की अस्वीकृति कि उन्हें पूर्वव्यापी संचालन के रूप में नहीं माना जा सकता है, उनके मामलों के तथ्यों में लागू नहीं होगी।

15. अधिकारी जिन्हें हमारी ओर से हमारे सामने उद्धृत किया गया है

उच्च न्यायालय के दो निर्णयों के समर्थन में प्रतिवादी हैं (i) पी।

महेंद्रन बनाम. कर्नाटक राज्य [(1990) 1 एस. सी. सी. 411], (ii) प्रफुल्ल कुमार स्वैन बनाम। प्रकाश चंद्र मिश्रा और अन्य। [1993 पूरक (3)

एस. सी. सी. 181], (iii) सचिव, ए. पी. लोक सेवा आयोग बनाम। बी. स्वप्ना और अन्य। [(2005) 4 एस. सी. सी. 154], (iv) प्रकाश चंद मीना

& ओआरएस। वी. राजस्थान राज्य और अन्य। [(2015) 8 एस. सी. सी. 484] और (v) क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया, कोच्चि और अन्य। वी. आर्या के बाबू और अन्र। [(2019) 8 एस. सी. सी. 587] ये निर्णय मुख्य रूप से इस बिंदु पर प्राधिकरण हैं कि रोजगार अधिसूचना जारी करने की तारीख पर प्रचलित नियम सामान्य रूप से लागू होने चाहिए।

चयन प्रक्रिया के बीच में आने वाली परिस्थितियों और नए नियमों या संशोधनों को उस प्रक्रिया पर लागू नहीं किया जा सकता है। इस तरह के नए नियम संभावित रूप से काम करेंगे। केरल उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भी के. पी. एस. सी. द्वारा कानून के इसी प्रस्ताव पर भरोसा किया गया है। लेकिन हम इस निर्णय में अधिकारियों को एक ही बिंदु पर गुणा करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

16. हमसे पहले, अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा विशिष्ट विषयों को पेश करने की वैधता पर भी तर्क दिया गया है।

विचाराधीन पदों के लिए योग्यता मानदंड के रूप में बी. एड। इस संबंध में हमारा ध्यान केरल शिक्षा नियम, 1959 के अध्याय XXX। के खंड 2 (2) (ए) की ओर आकर्षित किया गया है। उक्त खंड में किसी विशेष विषय में उच्च विद्यालय सहायक की योग्यता के रूप में "संबंधित विषय में एक डिग्री और बी. एड./B.T./L.T केरल के विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान या मान्यता प्राप्त" निर्धारित किया गया है। अपीलार्थियों के अनुसार, उक्त के तहत संबंधित विषय में बी. एड. करने वाले उम्मीदवार की आवश्यकता का कोई प्रावधान नहीं है।

नियम। उस अध्याय के शीर्षक में निर्दिष्ट किया गया है कि ये "निजी स्कूल शिक्षकों की योग्यताएँ" हैं। लेकिन अपनी लिखित प्रस्तुतियों में, राज्य सरकार ने इन नियमों में लागू होने के लिए समान नियमों का उल्लेख किया है

अपीलार्थियों के मामले भी। अपीलार्थी राज्य के शिक्षा क्षेत्र में रोजगार की मांग कर रहे थे। राज्य चाहता है कि हम उक्त नियमों की एक तनावपूर्ण व्याख्या करें जो इसे विषय–पदों के लिए लागू करते

हैं, जो राज्य संस्थानों में हैं और साथ ही बी. एड. के संबंध में "संबंधित विषय" शब्दों को पढ़ें। डिग्री भी। यह

राज्य का तर्क इस आधार पर दिया जाता है कि यह शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के हित में होगा। लेकिन उक्त खंड को सीधे पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि 1959 के नियमों के अध्याय XXXI के खंड 2 (2) (ए) में योग्यता मानदंड के रूप में बी. एड. में कोई विशिष्ट विषय नहीं बनाया गया है। संबंधित विषय में स्नातक की आवश्यकता है, लेकिन उक्त खंड के अनुसार, यह बी. एड. डिग्री सरलीकरण को पात्रता मानदंड के रूप में मानता है। प्रवीण कुमार सी. पी. वी. द्वारा हमें कोई अन्य नियम नहीं दिखाया गया है।

केरल राज्य या आयोग के लिए विद्वान वकील, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संबंधित विषय में बी. एड. की डिग्री रखने के लिए विषय पदों के लिए एक उम्मीदवार की आवश्यकता थी। जहाँ तक वर्तमान अपीलार्थियों का संबंध है, संबंधित विषय में उनके स्नातक होने पर कोई विवाद नहीं उठाया गया है।

17. के. पी. एस. सी. की ओर से यह तर्क दिया गया है कि इसमें निर्दिष्ट योग्यता से परे योग्यता निर्धारित करना उनकी शक्ति के भीतर था।

उपरोक्त खंड 2 (2) (ए) और उन्होंने यह स्थापित करने के लिए केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 पर भरोसा किया है कि उनके पास ऐसा करने की शक्ति थी तो। उक्त नियम केरल राज्य में भर्ती के विभिन्न पहलुओं और सेवा की शर्तों को निर्धारित करते हैं और इसका नियम 10 निम्नलिखित से संबंधित है –

राज्य और अधीनस्थ सेवाओं में एक पद के लिए योग्यता आवश्यकताएँ।

केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए हैं। इसके खंड 10 के प्रासंगिक प्रावधानों में निम्नलिखित प्रावधान हैंः

" 10. योग्यताएँ। (क) (i) किसी पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक या अन्य योग्यता, यदि कोई हो, उस सेवा के लिए लागू विशेष नियमों में निर्दिष्ट की जाएगी जिसमें वह पद शामिल है या

सरकार के कार्यकारी आदेशों में उन मामलों में निर्दिष्ट किया गया है जहां पद/सेवा के लिए विशेष नियम जारी नहीं किए गए हैं।

(ii) इन नियमों या विशेष नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कार्यकारी आदेशों या सरकार के स्थायी आदेशों द्वारा विशेष नियमों में किसी पद के लिए निर्दिष्ट योग्यता के समतुल्य के रूप में मान्यता प्राप्त योग्यता या आयोग द्वारा उक्त नियमों के नियम 13 (बी) (i) के अनुसार स्वीकार्य पाई जाती है।
नियम और ऐसी योग्यताएँ जो पूर्व में मान ली जाएँ –

पद के लिए निर्धारित निम्न योग्यता का अधिग्रहण भी पद के लिए पर्याप्त होगा।

18. 1958 के नियमों का खंड 13 आयोग को उन मामलों में विशेष योग्यता निर्धारित करने की अनुमति देता है जहां नियुक्तियां होनी चाहिए। इसके परामर्श से या राज्य सरकार द्वारा या अन्य मामलों में राज्य सरकार के अनुमोदन से किसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया गया। के. पी. एस. सी. द्वारा जारी कोई विशिष्ट अधिसूचना या आदेश हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है जिसके तहत बी. एड. करने की पात्रता मानदंड हैं। हाई स्कूल सहायकों के पदों के लिए डिग्री संबंधित विषय में होनी चाहिए। इस मुद्दे पर के. पी. एस. सी. का निवेदन है कि इसे पहले किसी भी [2021] 5 एस. सी. आर. में नहीं उठाया गया था।

कार्यवाही का चरण। लेकिन हमारी राय में, अपीलार्थी इस तर्क की सहायता नहीं ले सकते क्योंकि संबंधित रोजगार अधिसूचनाओं में संबंधित विषय में बी. एड. निर्दिष्ट किया गया था। अपीलकर्ताओं ने उक्त चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, तो उनके लिए रोजगार अधिसूचना में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार, हम इस आधार पर आगे बढ़ेंगे कि संबंधित पदों के लिए उम्मीदवारों के पास बी. एड होना आवश्यक था।

20. अब हम इस सवाल की ओर रुख करेंगे कि क्या 07 मार्च, 2019 और 23 जुलाई, 2019 के दो जी. ओ. एस. निम्नलिखित मामलों में लागू हो सकते हैं – बी. एड. में अपनी डिग्री की समकक्ष स्थिति पर विचार करने के लिए अपीलकर्ताओं को वर्ष 2012 और 2014 में रोजगार अधिसूचनाएं प्रकाशित की गई हैं। उस परिप्रेक्ष्य में, क्या उपरोक्त दो जी. ओ. के आलोक में बी. एड. में उनकी डिग्री पर विचार करने से खेल के नियमों को बीच में ही बदल दिया जाएगा?

21. उस प्रश्न को संबोधित करने से पहले, हम संबंधित रोजगार अधिसूचनाओं के खंड 7 के नोट (v) और नोट (vi) का उल्लेख करेंगे। क्रमशः पी. के. और ए. डी. के बारे में। हमने उक्त का पुनरुत्पादन किया है

इस निर्णय में पहले के खंड। खंड 7 में यह अपेक्षा की गई थी कि उम्मीदवारों को संबंधित विषयों के समतुल्यता की घोषणा करने वाले जी. ओ. की तिथियों का खुलासा करना चाहिए। लेकिन न तो के. पी. एस. सी. और न ही राज्य ने हमारे सामने तर्क दिया है कि अपीलार्थियों के आवेदनों में कोई दोष था। वे.

लिखित परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई। इस आधार पर, प्रत्यर्थियों ने टी. जयकुमार बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। ए. गोपू [(2008) 9 एस. सी. सी. 403] ने तर्क दिया कि आवेदनों को संसाधित करने के चरण में अधिकारियों की ओर से निरीक्षण को ऐसे आवेदनों में कुछ घातक दोष की क्षमा नहीं माना जाएगा। उक्त खंड 7 के अनुसार अगली आवश्यकता आयोग के समक्ष ऐसे आदेशों को प्रस्तुत करना था जब उनकी मांग की गई थी। हालाँकि, संबंधित खंडों ने उन अधिकारियों की पहचान नहीं की जिन्हें प्रवीण कुमार सी. पी. v.

23. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने आर्य के. बाबू (ऊपर) के मामले में इस अदालत के फैसले पर जोर दिया है। इस मामले में अपीलार्थी बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र अधिकारी के पद पर कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति का सवाल शामिल था। डिग्री में से एक पात्रता मानदंड में कृषि–वानिकी निर्धारित की गई थी। उक्त अधिसूचना में शामिल तिथि में योग्यता आवश्यकता से संबंधित खंड

मामला इस प्रकार हैः

" 4 – कृषि/बागवानी/पशु में वर्ष की डिग्री (स्नातक)

पशुपालन/पशु चिकित्सा विज्ञान/डायरी विज्ञान/कृषि इंजीनियरिंग/मत्स्य विज्ञान/मत्स्य पालन/कृषि विपणन और सह–संचालन/कंपनी

परिचालन और बैंकिंग/कृषि–वानिकी। 99 "

24. जिन उम्मीदवारों ने शुरू में यह कार्रवाई की थी, उनके पास यह अधिकार नहीं था।

उसमें निर्दिष्ट किसी भी विषय में डिग्री, लेकिन उनकी डिग्री वानिकी में थी। वे चयन प्रक्रिया में सफल रहे लेकिन उनका चयन इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि उनके पास निर्धारित [2021] 5 एस. सी. आर. नहीं था।

अधिसूचना के संदर्भ में योग्यता। यह पता चला कि इस देश में कृषि–वानिकी के लिए कोई 4 साल का डिग्री कार्यक्रम नहीं था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई. सी. ए. आर.) ने यह विचार रखा था कि

मंत्रालय द्वारा ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें वहाँ का तथ्य था देश में कृषि–वानिकी में उपलब्ध 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम पर ध्यान दिया गया। इस आधार पर कि कृषि–वानिकी को बी. एससी. के लिए आई. सी. ए. आर. द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में व्यापक रूप से शामिल किया गया था। वानिकी, यह सुझाव दिया गया था कि बी. एस. सी. में वह डिग्री उपयुक्त होगी। बैंकों में कृषि क्षेत्र अधिकारी के पदों के लिए वानिकी पर विचार किया जाना चाहिए। भारतीय बैंक कार्मिक चयन (आईबीपीएस) द्वारा 16 जनवरी, 2016 को इस संबंध में एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था। रद्द करने के आदेश को सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी

केरल उच्च न्यायालय में बर्खास्त उम्मीदवारों द्वारा, जिसके खिलाफ बैंक ने अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका दायर की। छुट्टी थी।

बैंक की याचिका में दी गई। आर्य के. बाबू (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने यह निर्णय दिया थाः

" 17. उस पृष्ठभूमि में, हालांकि वर्तमान तथ्यों में निजी उत्तरदाताओं के पास जो योग्यता है, उसे भर्ती की तारीख के अनुसार कृषि क्षेत्र अधिकारी के पद पर भर्ती के उद्देश्य से शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

अधिसूचना को उसमें शामिल नहीं किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा ऊपर बताए गए कारणों के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, उक्त परिस्थिति में, वर्तमान तथ्यों में, उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में उचित नहीं था। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हालाँकि हमने कानूनी स्थिति का उल्लेख किया है और इसे हमारे सामने आने वाले पक्षों के मामले में लागू किया है, यदि इसी तरह की भर्ती के मामले में, नियोक्ताओं ने स्वयं समानता की अनुमति दी

है और भर्ती किए गए अधिकारियों में से इस तरह के अधिकारियों को जारी रखा है, तो यह निर्णय लागू नहीं होगा।

ऐसे अधिकारियों के खिलाफ इस दूर के समय में कार्रवाई शुरू करना। उपरोक्त के अधीन, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश

केरल जो यहाँ विवादित है, उन्हें अलग रखा गया है।

18. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद हम निजी प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील के प्रस्तुत करने पर भी ध्यान देते हैं।

2016 के एस. एल. पी. (सी) सं. 16567 से उद्भूत अपील में, अर्थात्, प्रवीण कुमार सी. पी. v. श्रीमती. आर्या के. बाबू ने कहा कि वह बहुत मुश्किल में है सेवा से छुट्टी के बाद की परिस्थितियाँ जो उसके व्यक्तिगत जीवन में कुछ झटके के कारण भी होती हैं। यद्यपि हम वर्णित वास्तविक तथ्य स्थिति को स्पष्ट नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास इस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए, हम यह उचित पाते हैं कि उनके मामले में न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने और पूरा करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है।

किसी भी पक्ष को पूर्वाग्रहित किए बिना न्याय। इस दृष्टिकोण से, हम अपीलकर्ता बैंक ऑफ इंडिया को श्रीमती को नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश देते हैं।

आर्य के. बाबू कृषि क्षेत्र अधिकारी या ऐसे अन्य के रूप में

समतुल्य पद यदि आज के रूप में रिक्ति मौजूद है या भविष्य में होने वाली रिक्ति में है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इसे नियुक्ति की तारीख से एक नई नियुक्ति माना जाएगा और उसके द्वारा किसी भी पूर्व लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्देश इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में जारी किया गया है और इसे नहीं माना जाएगा।

किसी भी अन्य मामले के लिए एक मिसाल के रूप में।

25. जहां तक वर्तमान अपीलों का संबंध है, तथ्यों की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखते हुए तथ्य समान या लगभग समान नहीं हैं।

ये अपीलें इस बारे में हैं कि क्या अधिसूचित किए गए संबंधित विषयों के समकक्ष घोषित अपीलार्थियों की संबंधित बी. एड. डिग्रियां संबंधित जी. ओ. जारी करने की तारीखों से संचालित होंगी या वे उस समय से संबंधित होंगी जब उन्होंने डिग्रियां प्राप्त की थीं या कम से कम रोजगार अधिसूचना की तारीख तक। अपीलकर्ताओं ने बीना आर. वी. के मामले में एक समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा किया है। केरल लोक सेवा आयोग और अन्य। [(2017) 15 एससीसी 306] . हालाँकि, उस मामले में, अपीलार्थी के मामले में कोई विवाद नहीं था कि उसके पास केजीटीई (अंग्रेजी टाइपराइटिंग) की समकक्ष योग्यता थी

लेकिन कंप्यूटर तक उसके पास अलग प्रमाण पत्र नहीं था

वर्डप्रोसेसिंग का संबंध था। इस फैसले में, एक समन्वय पीठ ने "उत्पादित" अभिव्यक्ति के निहितार्थ की जांच की। यह प्राधिकरण अपीलार्थियों की सहायता नहीं करता है।

26. पी. के. मामले में रोजगार अधिसूचना के खंड 7 का नोट (v) और ए. डी. के मामले में रोजगार अधिसूचना के खंड 7 का नोट (vi) समतुल्यता आदेशों के प्रकटीकरण की आवश्यकता है। दोनों जी. ओ. का एक सादा अध्ययन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनकी डिग्री पात्रता मानदंड में निहित आवश्यक योग्यताओं के बराबर थी। आर्य के. बाबू (ऊपर) के मामले में विवादित विषय को मान्यता दी गई थी।

कहा गया मामला तय किया गया था। अपने सादे अर्थ में "समानता" शब्द का अर्थ कुछ ऐसा है जो दूसरे के बराबर है। शिक्षाविदों के क्षेत्र में, दो विषयों में डिग्री के संबंध में समानता के सिद्धांत के अनुप्रयोग का अर्थ यह होगा कि उनकी स्थिति या स्थिति हमेशा समान थी, जब तक कि समानता के अनुसार आधिकारिक साधन एक तारीख निर्दिष्ट नहीं करता है जिससे संबंधित विषयों को व्यक्त शब्दों में या निहितार्थ के रूप में माना जाएगा। 27. क्या एक जी. ओ. का संभावित प्रभाव होगा या पहले की तारीख से संबंधित एक सवाल है जिसे संबंधित आदेशों के पाठ और अवधि के आधार पर तय करना होगा। जिन जी. ओ. ने अपीलार्थियों की डिग्री को लागू अधिसूचनाओं के अनुसार आवश्यक डिग्री के बराबर घोषित किया था, वे सामान्य आदेश नहीं थे, बल्कि ये दोनों आदेश व्यक्तिगत थे।

विशेष रूप से, दो अपीलार्थियों से संबंधित। एक बार जब जी. ओ. ने विशेष रूप से घोषणा कर दी कि उनकी बी. एड. डिग्री निर्दिष्ट विषय के बराबर थी जो रोजगार अधिसूचना का हिस्सा था, तो जी. ओ. को वास्तव में स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति के रूप में व्याख्या की जानी चाहिए और इनका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि उन्होंने जी. ओ. में घोषणा किए जाने के बाद पहले से ही डिग्री की स्थिति या स्थिति को बढ़ा दिया था। जहां तक डिग्री की प्रकृति का संबंध है, विषय के जी. ओ. ने केवल एक मौजूदा स्थिति को मान्यता दी और अपीलार्थियों के पास जो डिग्री थी, उसके लिए नए मूल्य का सृजन नहीं किया। हालाँकि ये समकक्ष आदेश रोजगार अधिसूचना जारी करने की तारीखों पर अस्तित्व में नहीं थे, लेकिन जी. ओ. वास्तव में ऐसी डिग्री प्राप्त करने की तारीखों से ऐसी स्थिति को मान्यता देते हैं। जी. ओ. किसी भी मध्यवर्ती परिस्थितियों को प्रकट नहीं करते हैं जिसका अर्थ यह लगाया जा सकता है कि संबंधित डिग्री ने प्रवीण कुमार सी. पी. v के अनुदान के बाद होने वाली ऐसी परिस्थितियों के कारण समकक्ष दर्जा प्राप्त कर लिया है।

उनकी बी. एड. की डिग्री। रोजगार अधिसूचनाओं के खंड 7 के उपरोक्त टिप्पणियों में समतुल्यता पर आदेशों की संख्या और तिथि का खुलासा किया गया है। लेकिन जिन जी. ओ. को हमने संदर्भित किया है वे इलाज करते हैं

ऐसी डिग्री प्राप्त करने की तारीखों पर कार्य करने के लिए समतुल्यता। इस प्रकार, प्रकटीकरण आवश्यकता पर दोष, यदि कोई हो, विश्वविद्यालय के आदेशों के जारी होने पर ठीक हो जाएगा। जी. ओ. ओसभ ओहि सन्दर्भकँ सेहो निर्दिष्ट करैत छथि जाहिमे ओसभ जारी कयल गेल छल आ अपीलकर्तासभकेँ संदर्भित करैत छथि जे

केपीएससी की सूची में शामिल। यह मामला होने के कारण, हम इलाज करने के बारे में नहीं सोचते हैं

वर्ष 2019 में जारी जी. ओ. द्वारा लागू अधिसूचनाओं के तहत आवश्यक के बराबर अपीलार्थियों की डिग्री के परिणामस्वरूप खेल के नियमों में बीच में ही बदलाव होगा। सबसे अच्छा, इसे प्रतीकात्मक रूप से खेल के दौरान नियमों की व्याख्या के रूप में कहा जा सकता है। हमारी राय में, इस तरह के पाठ्यक्रम की अनुमति होगी। इस कारण से, हम "बीच में खेल के नियम में बदलाव" के सिद्धांत पर उद्धृत विभिन्न अधिकारियों से निपटने को आवश्यक नहीं मानते हैं। हमारी राय है कि बी. एड. में अपीलार्थियों की डिग्री रोजगार अधिसूचनाओं द्वारा आवश्यक डिग्री के बराबर थी और समतुल्यता आदेश केवल स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति के थे। इस कारण से, हमें नहीं लगता कि अपीलार्थियों के मामलों में संबंधित रोजगार अधिसूचनाओं के खंड 7 के टिप्पणियों (v) और (vi) का कोई मौलिक उल्लंघन हुआ था।

28. एक बार जब हम ऐसा मान लेते हैं, तो हमें नहीं लगता कि इन दोनों अपीलार्थियों को इस आधार पर राहत देने से इनकार किया जा सकता है कि अन्य समान रूप से स्थित व्यक्ति भी ऐसा कर सकते हैं।

समान पदों के लिए आवेदन नहीं किया था और उन्हें रखा जा रहा था

हानि। आर्य के. बाबू (उपरोक्त) के मामले में, उस पाठ्यक्रम को एक समन्वय पीठ द्वारा अपनाया गया था क्योंकि यह एक नया विषय था जिसे योग्यता मानदंड में विषयों की एक स्थायी श्रृंखला में जोड़ा गया था। सेवा न्यायशास्त्र का सिद्धांत कि एक उम्मीदवार के पास रोजगार अधिसूचना जारी होने की तारीख को किसी पद के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए, अपीलार्थियों के मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमारे विचार में, जब उन्होंने पदों के लिए आवेदन किया था तो उनके पास समकक्ष योग्यता थी। जी. ओ. ने केवल अपनी बी. एड. डिग्री की समानता की पुष्टि की। हमारी राय में, यह माना जाएगा कि उनके पास संबंधित तिथि पर समकक्ष योग्यता थी। जैसा कि हमने अभिनिर्धारित किया है कि संबंधित जी. ओ. केवल कुछ शैक्षणिक योग्यताओं की मौजूदा स्थिति को स्पष्ट या पुष्टि करते हैं, समान रूप से स्थित लेकिन अनिर्दिष्ट संख्या में व्यक्तियों के पदों के लिए आवेदन नहीं करने के विशिष्ट उदाहरण के अभाव में उन लोगों के लिए अनुचित होगा जो इसके लिए आवेदन करते हैं और यह स्थापित करने के लिए तीन स्तर के मुकदमों से गुजरते हैं कि उनके पास समकक्ष डिग्री थी।

29. अपील के तहत दिए गए निर्णय न्यायाधिकरण के 20 सितंबर, 2019 के आदेशों के अनुसार हैं और 2019 को बहाल कर दिया जाएगा। अपीलकर्ताओं बी घटना का परिणाम दें, उनके प्रदर्शन के आधार पर, वे श्रेणीबद्ध सूचियों के अनुसार उम्मीदवारों का चयन करते हैं, समय बीतने के आधार पर अपीलकर्ताओं को लाभ से वंचित किया जाता है। यदि वे नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, तो उन्हें अपने-अपने पदों पर उनकी नियुक्ति की तारीख माना जाएगा। उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी गई। सभी लंबित आवेदन

30. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।